

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक प. 3(54) शिक्षा-4/2002 पार्ट

जयपुर, दिनांक 08.2019

संशोधन आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.08.2019 के संदर्भ में अंकित लिंगदोह समिति सिफारिश जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया एवं विभाग द्वारा जारी किये गये आवश्यक निर्देश दिनांक 25.06.2010 के स्थान पर निम्नानुसार पढा जावे -

“लिंगदोह समिति सिफारिश जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया एवं विभाग द्वारा जारी किये गये आवश्यक निर्देश दिनांक 25.06.2010, एवं वर्ष 2017 व 2018 में विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देश।”

(डॉ. मोहम्मद नईम)

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निजी सचिव, सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मां मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खेलकूद एवं युवा मामलात विभाग।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालना विभाग।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा विभाग।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद शिक्षा विभाग।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम नियोजन एवं उद्यमिता विभाग।
13. निर्देशक, संस्कृत शिक्षा, ब्लॉक - 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
14. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
15. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
16. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
17. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
18. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
19. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
20. कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
21. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
22. कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
23. कुलसचिव, प. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
24. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
25. कुलसचिव, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
26. कुलसचिव, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा।
27. कुलसचिव, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
28. कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।

!!उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, मुख्य भवन द्वितीय तल कमरा नं0 1218, शासन सचिवालय, जयपुर!!
(ईमेल-jshegr4@gmail.com दूरभाष-0141-2227017 'आई पी-24840') (GL RS)


29. समस्त कुलसचिव, मानद विश्वविद्यालय, राजस्थान
 30. समस्त कुलसचिव, निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
 31. प्रभारी वेबसाईट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
 32. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा
 ५

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4) छात्रसंघ चुनाव/अकाद/आकाशि/2019/329 दिनांक: 14 अगस्त, 2019
 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय/निजी महाविद्यालयों को भेजकर लेख है कि महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव, 2018-19 लिंगदोह समिति के आधार उक्तानुसार करवाये जायेंगे
2. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय।


 संयुक्त निदेशक
 कॉलेज शिक्षा राजस्थान,
 जयपुर।